

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
<u>07.02.2023</u>	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
<u>16.02.2023</u>	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 03.03.2023 को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

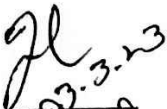
3.3.23

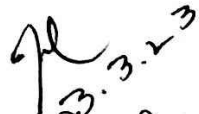
अभिलेख अपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा.....रहेया....., थाना सं०.....345..... खाता सं०-.....41..... प्लॉट सं०.....10/7, 10/8..... रकबा.....0.35..... है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं०.....76/1..... पर 35 अ म उ द न म ि र ह ए व अ न य ड े ग म से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम प्रधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर से बन्दोबस्त वाद सं०-123/2022-23 से प्राप्त है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

ऑफिस अधिकारी

मनावा, पलाश

विषय:- सैंडिच/सैंडिचस्पद जमाबंदी केस नं० 135/2016-17
का ऑफिस प्रतिवेदन के संबंध में।

9/3/23

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदन करना है कि
सैंडिच/सैंडिचस्पद जमाबंदी केस नं० 135/2016-17 के संबंध
में पुराना माँग पंजी-11 के अवलोकन पश्चात पाया कि
मौजा- रहेया के पुराना माँग पंजी-11 के पेज नं० 76/1
पर न्यामुदीन मिर्जा वी अहमद मिर्जा, रहमत मिर्जा, बीटू
मिर्जा, सगीर मिर्जा 5/0 कुटुंब मिर्जा के नाम से माँग
कायम है। आप्रमाण माँग पंजी-11 के अनुसार खसि
का विवरण निम्नप्रकार है:-

मौजा	खसि	लौट	रकबा	Settlement case no
मौजा	खसि	लौट	रकबा	
रहेया	41	10/7	0.35	172/2002-03 by order
		10/8	0.35	50.0 Medani Nagar
			0.70	

प्रतिवेदन खसि का रकमात लगान रसीद दिनांक - 5/11/11 को
निर्गत है रसीद संख्या-4965472 दर्ज है लगान वर्ष 2003-12 तक
वसूल है दर्ज है माँगधारी रैयत से खसि कंदोबली से संबंधित
दस्तावेज की माँग की गई, जिसमें कि उनके द्वारा खसि
कंदोबली से संबंधित दस्तावेज की नकल की घोषणा, राजस्व
रसीद, एवं कंदोबली फर्मा की घोषणा उपलब्ध कराया
गया है जो कि साथ में संलग्न है। ऑफिस अधीन
से दखल वसूला के संबंध में ऑफिस प्रतिवेदन की माँग
की जा सकती है।

माँगधारी रैयत द्वारा प्रदत्त दस्तावेज, माँग पंजी-11 में दर्ज
माँग एवं निर्गत रसीद के आधार पर यह माँगला सैंडिच/सैंडिचस्पद
प्रतीत नहीं होता है।
अतः ऑफिस प्रतिवेदन, महोदय को अग्रिम कार्रवाई हेतु सक्षम
सुपारि

9/3/23
R-37+17

विश्वासभाजन
अनिल कुमार
राज ठापा
हलका-111

सेवा में

श्री मान्द अंचल अधिकारी
मनासु, पालासु।

विषय :- सन २०१६/१७ के सार्वजनिक जमाखंडी केस नं. १३५
दिनांक २०१६-१७ के सम्बन्धित स्थल जांच प्रविष्टि
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयों पर सार्वजनिक स्थल जांच
हेतु जांच-रहेगा, जाना-मनासु, जाना नम्बर ३५५ के
अन्दर खाता प। लौह नं. १०/७ एवं १०/८ रकम नं. १०८०
भूमि का अंश लौह पर बन्दोबस्तकारी का दरवाजा
हो। दरवाजा नं. १०८० हेतु बन्दोबस्त नकशा से स्थल
को चिह्नित। अतः आवश्यक कारवाई हेतु जांच
प्रविष्टि सादर समझी है।

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर

अंचल अमीन

मनासु

०३/०३/२३